

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 02/4/19 को पेयजल निगम, पुरोड़ी के द्वारा नगेरा खड्ड, त्यूनी से निचली बोराड़, हरिजन बस्ती पेयजल योजना के कार्यो हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री यशपाल राठौर, रेंजर, वन विभाग त्यूनी एवं पेयजल निगम, पुरोड़ी की ओर से श्रीमति मीनाक्षी मित्तल, सहायक अभियन्ता, श्री मुकेश सिंह, अपर सहायक अभियन्ता एवं स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री जयपाल सिंह, एवं श्री नारायण सिंह पंवार (कोषाध्यक्ष, उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति, निचली बोराड़, हरिजन बस्ती) के द्वारा परियोजना को बनाने हेतु स्थल/समरेखन से चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में चयनित स्थल आरक्षित वन क्षेत्र संग्रेड कर सं० 2 में स्थित है। उक्त क्षेत्र में 1200 मीटर पाइप लाइन एवं 1 इन्टैक चैम्बर 0.60x0.60 मी०, कुल क्षेत्रफल 0.054 है० है। उक्त समरेखन में कोई वृक्ष नहीं आ रहा है।

हस्ताक्षर

श्रीमति मीनाक्षी मित्तल/श्री मुकेश सिंह
सहायक अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता
प्रयोक्ता एजेन्सी, निर्माण शाखा,
उत्तराखण्ड पेयजल निगम,
पुरोड़ी।

हस्ताक्षर

श्री यशपाल राठौर
रेंजर,
वन विभाग, त्यूनी

हस्ताक्षर

श्री नारायण सिंह पंवार
कोषाध्यक्ष/यू०डब्ल्यू०एस०सी०सी०
निचली बोराड़, हरिजन बस्ती

हस्ताक्षर

श्री जयपाल सिंह
जनप्रतिनिधि

तिनोद भण्डारी
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र
तहसील

श्री जयपाल सिंह
राजसिंह
राजसिंह

प्रारूप - 6

प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रारूप

आज दिनांक 02/07/19 को मेयजल निगम मुंडोडी (एजेन्सी का नाम) के द्वारा मिनली गौराड एजिन् वल्ली तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राजस्व विभाग की ओर से श्री प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री मुंडेरा सिंह अग्रवाल, अग्रवाल की ओर से श्री तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्री नारायण सिंह पवार के द्वारा प्रणगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्ययता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है, उसमें (मी०) नाप भूमि से (मी०) सिविल भूमि से, (मी०) वन पंचायत से 12.50/10 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल (हे०) नाप भूमि (हे०) सिविल भूमि (हे०) वन पंचायत भूमि 0.054 (हे०) आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल 0.054 (हे०) भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

इस समरेखण की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें (मी०) नाम भूमि से (मी०) सिविल भूमि से (मी०) वन पंचायत से (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखण/स्थल के चयन में कुल (हे०) नाप भूमि (हे०) सिविल भूमि (हे०) वन पंचायत भूमि (हे०) आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुल (हे०) भूमि के हस्तांतरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर चुने गये स्थल पर लगभग वृक्ष प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

देवदार वन स्ट्रेड क्र० ०२

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है, इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन है, एवं इन कक्षों में प्रजाति के वन है। प्रभावित होने वाली नाप भूमि पर प्रजाति के वन है, एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर जी०पी०एस० प्रजाति के वन है, जिनका वर्तमान वन आच्छादन है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का जी०पी०एस० मान 36°56'22.2"N है, तथा यह स्थल नगेडा खड्ड से प्रारम्भ होता है, तथा समरेखण का अन्तिम स्थल है, जिसका जी०पी०एस० मान 36°56'53.9"N है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के जी०पी०एस० मान 37°51'8"E है।

चयनित समरेखण में कुल पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा है/नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन होगा/नहीं होगा।

इस समरेखन पर मेयजल योजना के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा, उसके निस्तारण हेतु स्थल उपयुक्त पाये गये हैं, जिनका जी०पी०एस० मान है।

अन्य आवश्यक विवरण

उप-प्रभोगीय वनाधिकारी

चक्रवर्ती वन प्रभाग

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रतिनिधि

प्रतिनिधि

वन क्षेत्राधिकारी

देवदार राजि त्यूनी

चक्रवर्ती वन प्रभाग

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी

चक्रवर्ती वन प्रभाग

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नोट - इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की जांच/प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।